दि० -10-22 पत्रावली पेश हुई/वर्क ल आली/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित है/अनुपस्थित ... पीठासीन
अधिकारी प्रमाण पर ... है/अन्य
कार्यों में व्यस्त है/... गया है।
अत: पत्रावली पुनः ... 28-10-22
को पेश हो।

28-10-2022 वकील उभयपक्ष उप०/बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 28-11-2022 को पेश हो।

28-11-2022 वकील उभयपक्ष उप०। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 26-12-2022 को पेश हो।

26/12/22 वकील उभयपक्ष उप०। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र 251 (A) RT Act अस्वीकार कर खारिज किया जाता है विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
136/2021	18.10.2021	26/12/22

1. श्यामलाल पुत्र गुलाब, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. आशा पुत्री रामकैलाश पत्नी ज्ञानसिंह, गुर्जर नि.बूचोलाई तह. गंगापुरसिटी
3. इन्द्रा पुत्री हरीसिंह पत्नी रामचरण, जाति गुर्जर निवासी मकसूदनपुरा तहसील मलारनाडूंगर
4. कमला पुत्री हरीसिंह, गुर्जर निवासी लोधीपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
5. मुकेश पुत्र रामकैलाश, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
6. मुकेशी पुत्री रामकैलाश पत्नी हरकेश, गुर्जर निवासी टटवाडा तह०तलावडा
7. महेश पुत्र हरीसिंह, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
8. मिश्री पत्नी हरीसिंह, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
9. लालाराम पुत्र रामकैलाश, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
10. हरकेश पुत्र हरीसिंह, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
11. हरो पुत्री हरीसिंह पत्नी सीताराम,गुर्जर नि०मकसूदनपुरा तह० मलारनाडूंगर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल प्रसाद पुत्र भौरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. सरकार जरिए तहसीलदार तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज०टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम खान, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, अप्रार्थी नं० 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी संख्या 1 श्यामलाल की खातेदारी की भूमि ख०नं० 1709 रकबा 1.67 है० ग्राम चूली में तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 की सहखातेदारी की भूमि ख०नं० 1691 रकबा 0.34 है०, ख०नं० 1692 रकबा 1.00 है० ग्राम चूली में स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख०नं० 1709 व प्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 की भूमि ख०नं० 1692 को आने जाने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख०नं० 1701, 1702 में होकर नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित स्थान पर होकर रहा है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को 12 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख०नं० 1701, 1702 में होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:08 IST
Reason: Self Attested

में पीले रंग से दर्शित स्थान अनुसार दिलवाया जावे। प्रार्थीगण डी0एल0सी0 रेट के अनुसार कीमत जमा कराने को तैयार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हलका पटवारी से मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिलाए जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौके की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि प्रार्थी श्यामलाल की भूमि ख0नं0 1709 के पूरब की ओर अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 1701, 1702 स्थित है। प्रार्थी श्यामलाल व अप्रार्थी की भूमि के बीच हमेशा से ही डौल मेड रही है। प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता अप्रार्थी की भूमि में होकर नहीं रहा है। प्रार्थी श्यामलाल की भूमि के दक्षिण दिशा में गैर मुमकिन रास्ता ख0नं0 1699, 1700 स्थित है जिसका उपयोग प्रार्थीगण करते आ रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास पहले से ही रिकार्डेड रास्ता मौजूद है जो साबिक नक्शा ट्रेस सं0 2034 की नक्शा शीट में भी दर्शित है । प्रार्थी श्यामलाल की भूमि ख0नं0 1709 के उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तर से दक्षिण मौके पर वर्तमान में पक्की सडक बनी हुई है जो ख0नं0 1709 के उत्तर दिशा के पडौसी ख0नं0 1706, 1708 में होकर बनाई हुई है जो मौके पर ख0 नं0 1709 के नजदीक से लगती हुई बनी है। प्रार्थी श्यामलाल गुर्जर मौके पर इस सडक का उपयोग करता आ रहा है एवं प्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 भी प्रार्थी संख्या 1 श्यामलाल की भूमि ख0नं0 1709 में होकर सडक का उपयोग करते आ रहे हैं। यह सडक मौके पर तो बनी हुई है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इसकी तरमीम नहीं हुई है। प्रार्थीगण ने इस तथ्य को जानबूझकर न्यायालय से छिपाया है। प्रार्थी श्यामलाल की भूमि ख0नं0 1709 के दक्षिण दिशा में ख0नं0 1699, 1700, 1689, 1690 रास्ते की भूमि है जो प्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 की खातेदारी भूमि ख0नं0 1691, 1692, के उत्तर की ओर उक्त राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्शित रास्ता रहा है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 दक्षिण की ओर से व प्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 उत्तर की ओर से उक्त रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 की जो भूमि ख0नं0 1691, 1692 तथा 1687, 1684 से लगता हुआ पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर गैरमुमकिन नाला ख0नं0 1671, 1672, 1673, 1688 स्थित है जिससे लगती हुआ गैरमुमकिन रास्ता ख0नं0 1643, 1654, 1655, 1674 ग्राम चूली की तरफ से आकर मिलता है। यह रास्ता भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:08 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृतशुदा रास्ता है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्शाया हुआ है। इस रास्ते का उपयोग भी प्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पास पहले से ही उत्तर व दक्षिण दोनों तरफर वैकल्पिक रास्ते मौजूद है तथा उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे हैं उसके बाबजूद भी प्रार्थीगण अप्रार्थी की भूमि में से नाजायज रूप से रास्ता निकलवाना चाहते हैं जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी श्यामलाल की नीयत खराब है और वह ताकत के बल पर जबरन अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता निकालना चाहता है एवं अप्रार्थी की भूमि को बर्बाद करना चाहता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रार्थी श्यामलाल व उसके पुत्र राजाराम व दयाराम गुर्जर ने दि0 24.7.2021की रात्रि में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0 नं0 1702 की तारबंदी तोडकर मोरम डालकर अवैध सडक बना दी एवं अप्रार्थी की तिल्ली की खडी फसल को नष्ट कर दिया जिस पर अप्रार्थी ने एफ0आई0आर0 नं0 303/2021 अन्तर्गत धारा 447, 427 आई0पी0सी0 पुलिस थाना गंगापुर सिटी में दर्ज कराई जिसमें प्रार्थी श्यामलाल के विरूद्ध चालान पेश हो चुका है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 1698, 1701, 1702 ग्राम चूली में स्थित है जिसमें अप्राथी ने तारबंदी कर डौल मेड लगा रखी है। अप्रार्थी की भूमि में होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ स्वीकृतशुदा वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजूद है जिसका उपयोग प्रार्थीगण कर रहे हैं। प्रार्थीगण गुर्जर समुदाय से हैं, आपस में भाईबन्ध हैं जिन्होने साजिशवश एक राय होकर यह झूंठा मुकदमा प्रस्तुत किया है। धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत केवल उसी स्थिति में रास्ते का अनुतोष चाहा जा सकता है जब प्रार्थीगण के पास कोई भी वैकल्पिक व स्वीकृतशुदा रास्ता ना हो तथा अत्यधिक आवश्यकता की स्थिति में ही रास्ते के अनुतोष की याचना की जा सकती है। सुविधाजनक स्थिति के लिए या वैकल्पिक रास्ता होने पर धारा 251(ए) राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत रास्ते का अनुतोष नहीं चाहा जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के पास उत्तर व दक्षिण दोनों दिशा की तरफ वैकल्पिक एवं स्वीकृतशुदा रास्ते मौजूद हैं। प्रार्थना पत्र [illegible] संलग्न नजरी नक्शे में चाहे जा रहे रास्ते देने पर अप्रार्थी के खेत के [illegible] हो जावेंगे तथा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि बर्बाद हो जावेगी। प्रार्थी श्यामलाल ने गैरकानूनी तरीके से दिनांक 24.7.2021 को अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में होकर जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया जिसकी अप्रार्थी द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करवाए जाने पर प्रार्थी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत होने पर प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 से मिलकर अपने अवैध कार्य को वैध बनाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:08 IST
Reason: SelfAttested

यह प्रार्थना पत्र साजिशी प्रस्तुत किया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा विशेष हजा के खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 646, 718, 156 नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी डी0एल0सी0 रेट प्रस्तुत किए हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि चालान,नक्शा मौका, फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी, एफ0आई0आर0, नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 खाता संख्या 150, 1, 718, फोटोकोपी नक्शा ट्रेस सं0 2034–35, एक फोटोग्राफ, राजस्थान टीनेन्सी (एमेंडमेंट) बिल 2010 बिल नं0 23/2010की प्रति, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 2.3.2012, 14.6.2013 की प्रति, न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 18.6.2013 की प्रति, डी0बी0 सिविल स्पेशल अपील (रिट) नं0 11/2016 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दि0 26.9.2016 को पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/578 दिनांक 10.3.2022 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता ख0नं0 1703 रकबा 0.36 है0 गै0मु0रास्ता दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में प्रार्थीगण ख0नं0 1706 में होकर निकल रहे थे जो खातेदारी का खेत है जिसमें वर्तमान में फसल काश्त है। चाहे जा रहे रास्ते की लम्बाई लगभग 75 मीटर व चौडाई 9 मीटर है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी ने दि. 28.10.22 को आपत्ती प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थी ने अंकित किया है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा सबसे कम दूरी का रास्ता ख0नं0 1703 रकबा 0.36 है0 गै0मु0रास्ता बताया है जो गलत सूचना दी गई है। वास्तविकता यह है कि ख0नं0 1706 में होकर गंगापुर सिटी से चूली गांव आने जाने का गै0मु0रास्ता ख0नं0 1705 बना हुआ था जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्तमान में मौके पर गै0मु0रास्ता ख0नं0 1705 से हटकर ख0नं0 1706 में होकर गंगापुर सिटी से चूली गांव तक आने जाने के लिए पक्की सडक बन गई है जो श्यामलाल के खेत ख0नं0 1709 से लगते हुए है, सडक बने 30 साल हो गए हैं परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:08 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स0मा0)

यह राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। रिपोर्ट में इस तथ्य को छिपाया गया है। मौके पर ख0नं0 1706 में वर्तमान में गंगापुर सिटी से चूली तक आने जाने का मुख्य सडक मार्ग बना हुआ है जो श्यामलाल के ख0नं0 1709 से लगता हुआ व निकटतम रास्ता है तथा प्रार्थी श्यामलाल के खेत ख0नं0 1709 के दक्षिण दिशा में लगवां गैरमुमकिन रास्ता ख0नं0 1699 व 1700 स्थित है जिसे भी रिपोर्ट में छिपाया गया है। रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड,नक्शा व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर प्रस्तुत की गई है। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी को पुनः निर्देशित फरमावें कि वे प्रार्थी श्यामलाल गुर्जर के खेत ख0नं0 1709 के उत्तर से पूर्व दिशा की ओर स्थित ख0नं0 1706 में बनी हुई पक्की सडक से ख0नं0 1709 की कितनी दूरी है, स्पष्ट रिपोर्ट करें तथा ख0नं0 1709 के दक्षिण दिशा की तरफ ख0नं0 1699 व 1700 की वास्तविक दूरी क्या है की विस्तृत व स्पष्ट रिपोर्ट करें ताकि न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति आ सके।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए गए रास्ते को खातेदार पूर्व से रास्ते के काम लेते आ रहे हैं जिसकी पुष्टि तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट से भी होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने का कष्ट करें।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा सबसे कम दूरी का रास्ता ख0न0 1703 रकबा 0.36 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता बताया है जो गलत है। रास्ता ख0न0 1705 मे बना हुआ था परन्तु वर्तमान मे मौके पर रास्ता ख0न0 1705 से हटकर ख0न0 1706 मे होकर गंगापुर सिटी से गॉव चूली मे आने जाने के लिए पक्की सडक बन गई है जो प्रार्थी श्यामलाल के ख0न0 1709 से लगते हुए है। इसे बने हुए तीस वर्ष का समय हो गया है कि लेकिन इसका राजस्व रिकार्ड मे तसदीक नही हुई है। इस तथ्य को राजस्व कर्मचारियों ने छिपाया है। इसके अलावा श्यामलाल के खेत ख0न0 1709 के दक्षिण मे लगवां गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 1699 व 1700 स्थित है। जिसे भी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट मे छिपायी है। मौके की स्थिति से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण श्यामलाल वगैरा को उनके खेत ख0न0 1709 व 1692 मे आने जाने के लिए रास्ता पूर्व से ही मौजूद रहा है। अतः अब इन्हे नये रास्ते की आवश्यकता नही है। इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:08 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 1 के अनुसार ख0न0 1699 व 1700 गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज है एवं इन रास्तो की सीमा प्रार्थीगण के खेतो की सीमाओ से लगती हुई है। अब प्रार्थीगण ख0न0 1701 व 1702 मे होकर नवीन रास्ते की मांग कर रहे है। जो उसी स्थिति मे दिया जा सकता है जब पूर्व से कोई रास्ता उपलब्ध नही हों। प्रस्तुत अभिलेख से प्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने के लिए पूर्व से रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है। अब इन्हे चाहा गया रास्ता दिये जाने की कोई आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/22 को सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:08 IST
Reason: SelfAttested